



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail- eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक: 1343/34व्यक-स्थानान्तरण-सा०/22

दिनांक 26/08/2022

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का निजी हित में पारस्परिक स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं०-०४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री अमित कुमार सैनी प्रभारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडाउन	
2	श्री सुधीर कुमार सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडाउन	रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी	18(3) एवं 18(5)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

३०

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, रा०मा०/क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 12वां/रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, पौड़ी/हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडाउन।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. श्री अमित कुमार सैनी, प्रभारी सहायक अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
8. श्री सुधीर कुमार, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडाउन।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता
25.08.2022
AM 11:00



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd> E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक: 1344/34व्यक्ति-स्थानान्तरण-सा०/22

दिनांक 26/08/2022

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का निजी हित में पारस्परिक स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के समुख अंकित कॉलम सं०-०४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री हरिनन्दन मिश्रा प्रभारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर	
2	श्री दिनेश रावल सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर	रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट	18(3) एवं 18(5)

1. सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

३०

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, रा०मा०/क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल/हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर/लोहाघाट।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. श्री हरिनन्दन मिश्रा, प्रभारी सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट।
8. श्री दिनेश रावल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामनगर।
9. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता
25.08.2022
A.W.



पत्रांक: 1345 / 34व्यक्ति-स्थानान्तरण-सा०/22

दिनांक 26/08/2022

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं का निजी हित में पारस्परिक स्थानान्तरण करते हुए उनके नाम के समुख अंकित कॉलम सं०-०४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते हैं। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश कुमार सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	
2	श्री सन्नी दयाल सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून	18(3) एवं 18(5)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

१०

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, ९वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून/सहिया।
- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
- श्री सन्नी दयाल, सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, सहिया।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता
25/08/2022
मात्र